राजस्थान सरकार

निदेशालय,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,राज0 जयपुर ।

कमांकः–ई–20 / मस्वाका / सीधीभर्ती / (सी–248) / 09 / 319 दिनांकः–26/3/09

1–निदेशक, ई0एस0आई0 / एम0एस0यू0 / आर0आर0सी0
2–समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज
3–समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
4–समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह,
5–समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
6–समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी
7–समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ।

विषयः– ग्रामीण लैब टेक्नीशियन / ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम के कार्यग्रहण / पदस्थापन किये जाने बाबत।

आपको भली–भांति विदित है कि निदेशालय के विभिन्न आदेश द्वारा आपके अधीन ग्रामीण लैब टेक्नीशियन्स / ग्रामीण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता / जीएनएम (एनआरएचएम) का पदस्थापन / आवंटन किया गया था। निदेशालय में प्राप्त सूचना के अनुसार इनमें से अनेक अभ्यर्थियों द्वारा, आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व आपके कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करदी थी, जबकि कई अभ्यर्थी ऐसा करने मे असमर्थ रहे। उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आगे पदस्थापन / कार्यग्रहण कराने हेतु आचार संहिता में शिथिलता प्रदान किये जाने हेतु विभाग द्वारा निर्वाचन विभाग से अनुरोध किया गया था, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। अतः विद्यमान परिस्थितियों में अग्रिम कार्यवाही हेतु निम्नप्रकार दिशानिर्देश प्रसारित किये जाते हैः–

1. ऐसे चयनित अभ्यर्थी जिन्होंनें निदेशालय द्वारा जारी विभिन्न आदेशों की पालना में आचार संहिता लागू होने से पूर्व ग्रामीण लैब टैक्नीशियन / महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं एनआरएचएम योजना के तहत जीएनएम के पद पर आपके कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर दी है, नियमानुसार उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जावे ।
2. आपके कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थियों से यथासंभव स्थानीय चिकित्सा संस्थानों में उनके पद के अनुरूप कार्य लिया जावे।
3. आचार संहिता लागू होने से पूर्व जिन अभ्यर्थियों ने आपके कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत कर दी थी, उन्हें आचार संहिता समाप्त होते ही तत्काल उनके पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त कर, पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
4. आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात उपस्थिति प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों, का तत्काल पदस्थापन कर आगामी कार्यवाही करावें।
5. ग्रामीण म0स्वा0कार्यकर्ताओं / जीएनएम (एनआरएचएम) का पदस्थापन आदेश यदि अभी तक जारी नहीं किये गये हों, तो आचार संहिता समाप्त होते ही जारी कर, उन्हें पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त किया जावे।
6. यदि नियुक्ति आदेश में अंकित औपचारिकताओं की पूर्ति होना अभी शेष हो, तो वह अविलम्ब कराई जावे।

बिन्दू संख्या–2 से 6 तक की पालना करते समय माननीय न्यायालयों द्वारा जारी स्थगन आदेशों की अवहेलना न हो, यह भी ध्यान रखा जावे।

जहां तक इनके वेतन का प्रश्न है, इस संबंध में पृथक से निर्देश यथासमय प्रसारित कर दिये जावेगें।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,